तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा महेश चन्द्र बनाम नवरतन किस्म- प्रा०पत्र नं० 27/15
25-1-17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता विपक्षी सं० 2, 3 के सम्मन नोटिस मय फैहरिस्त तलबाना के पुनः भरकर प्रस्तुत करें। प्रस्तुती पर तामील जारी हो। पत्रावली वास्ते देखने तामील हेतु दि० 28-2-17 को पेश हो।
28-2-17	पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे पे पधारे हैं / अन्य राजकार्य मे व्यस्त है। अत पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 18-4-17 को पेश हो आज्ञा से रीडर सब डिविजन ऑफिसर
18/4/17	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 25.1.17 की पालना में दिनांक 30-5-17 को पेश हो।
12-6-17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम रायला मे पेश हुई। प्रार्थी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 शिविर मे उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी आ० सं० 916 पर पहुंचने के लिए विपक्षी की खातेदारी आ० सं० 916/3 3360, 4106/326 मे से होकर 12 फीट चौडा रास्ता चाहने आशय अनुतोष बाबत यह प्रा०पत्र प्रस्तुत किया है। किन्तु प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात 916 रकबा 3-18

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

महेश चन्द्र बनाम भंवर लाल

प्रार्थना पत्र नं. 27/15 सन् 2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सरस्वती ज्ञानधारा पुत्रीया शंकर लाल, कौशल्या देवी पत्नि शंकर लाल ब्राहमण अन्य और सहखातेदार है जिन्हे प्रार्थीगण ने अपने प्रा०पत्र बावत कायमी रास्ता मे पक्षकार के रूप मे संयोजित नही किया गया है जबकि निम्न अतिरिक्त पक्षकारो को प्रा०पत्र मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है इसी प्रकार से प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षीगण की खातेदारी आ० ख० 916/3 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा मे भी विपक्षी क्र० 1 के अतिरिक्त दुर्गादेवी बसन्ती देवी सुमित्रादेवी पुत्रीया गोवर्धनलाल ब्राहमण का नाम भी बतौर सहखातेदार के रूप मे दर्ज रेकार्ड है किन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रा०पत्र मे निम्न को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही समझा इसी तरह से प्रार्थीगण ने अपने प्रा०पत्र मे विपक्षी की खातेदारी आ० ख० 3360 रकबा 01-07 बीघा मे भी पक्षकार संयोजित करने संबंधि त्रुटी रखी गई है जो कि विधी विरुद्ध होकर न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है। ऐसी स्थिती मे मौजूदा प्रा०पत्र त्रुटीपूर्ण एवं आवश्यक पक्षकारो के अभाव मे पोषणीय सिद्ध नही है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र प्रार्थीगण के द्वारा प्रा०पत्र मे आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार नही बनाये जाने व प्रा०पत्र गलत व त्रुटीपूर्ण प्रस्तुत करने से मेन्टनेबल नही होकर खारिज किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।	